न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016 रेस्टोरेशन 2221-9237-II-16

1. मुस. परवतिया उर्फ चन्द्रकली पत्नी स्व. अयोध्या प्रसाद
2. रामनरेश पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद
3. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद
4. रामनारायण पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद

   सभी निवासी ग्राम गहिलवार तह. सिरमौर जिला रीवा

5. सुकवरिया उर्फ सुखमंती पुत्री स्व. अयोध्याप्रसाद

   निवासी बधवा नयागांव तह. रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

..... आवेदकगण

धर्मदास पिता गंगा जायसवाल (मृत) विधिक वारिश

1. रामकली बेवा धर्मदास जायसवाल
2. शिवमूर्ति पुत्र स्व. धर्मदास जायसवाल

   निवासीगण ग्राम गहिलवार कलां तह. सिमरिया जिला रीवा

3. लुददी पुत्री स्व. धर्मदास पत्नी त्रिलोचन जायसवाल

   निवासी पुरानी बस्ती माधौगढ सतना जिला सतना

4. फुल्झी पुत्री स्व. धर्मदास पत्नी वितानी

   निवासी पुरानी बस्ती माधोगढ सतना जिला सतना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव एडवोकेट
02-11-16

मुकेश भार्गव
2-11-16 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्र.क. 1124—iv /08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.7.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि —

संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि, आवेदकगण के पिता स्व. अयोध्याप्रसाद एवं अनावेदक धर्मदास (मृत) आपस में सगे भाई थे आपसी हिस्साबंट की पुल्ली के आधार पर नायब तहसीलदार सेमरिया के न्यायालय में संहिता की धारा 178, 109/110 के तहत बंटवारा /नामांतरण हेतु रकवा 7.20ए में से हिस्सा 1/2 अपने नाम किये जाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर से प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को तलब किया गया उनके द्वारा जबाव पेश किया गया स्वत्व का प्रश्न उनके द्वारा उठाया गया जिस पर प्रकरण का तीन माह के लिये स्थगित किया गया परन्तु किसी पक्ष द्वारा जब तीन माह के अंदर कोई दीवानी प्रकरण नहीं प्रस्तुत किया गया तक प्रकरण को पुनः कार्यवाही में लिया गया। अनावेदक बाद सूचना कई पेशियों में निरंतर अनुपस्थित रहा इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कीजाकर आवेदकगण के स्व. पिता के स्वतः के कथन एवं साक्षियों के कथन लेकर विधिनुसार कार्यवाहीकर अपने आदेश दिनांक 19.9.02 द्वारा बंटवारा / नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष अपील की जो आदेश दिनांक 22.02.07 द्वारा निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो आदेश दिनांक 09.09.08 द्वारा स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क

रेस्टो० 9237-II/16

जिला- सतना

15/5/17

आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भारतीय उप./ उनके द्वारा R-1124-बी/08 को पुनः नम्बर पर लेने का अनुरोध किया है।

2- आवेदक अधि० का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा R-1124-बी/08 में पारित आ.दि. 25/7/16 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसे आवेदन स्वीकार किया जाता है प्रकरण दा.दि. हो।

सदस्य

[कृ. प. उ.